न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 20 / 2025
दायर दिनांक : 01 / 05 / 2025
निर्णय दिनांक : 11 / 06 / 2025

उनवान

1. भानुप्रतापसिंह पुत्र बहादुरसिंह राजपूत निवासी फलासिया तहसील भूपालसागर
2. राघवेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह राजपूत निवासी फलासिया तहसील भूपालसागर
3. निर्मलाकुंवर पुत्री बहादुरसिंह राजपूत निवासी फलासिया तहसील भूपालसागर
4. मनभरकुंवर पुत्री बहादुरसिंह राजपूत निवासी फलासिया तहसील भूपालसागर
5. नितूकुंवर पुत्री बहादुरसिंह राजपूत निवासी फलासिया तहसील भूपालसागर
6. प्रितिकुंवर पुत्री बहादुरसिंह राजपूत निवासी फलासिया तहसील भूपालसागर
7. अन्तरकुंवर पत्नी बहादुरसिंह राजपूत निवासी फलासिया तहसील भूपालसागर
8. कैलाशकुंवर पत्नी बहादुरसिंह राजपूत निवासी फलासिया तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. हेमसिंह पिता गोवर्धनसिंह राजपूत निवासी फलासिया तहसील भूपालसागर
2. लोकेन्द्रसिंह पिता महेन्द्रसिंह राजपूत निवासी फलासिया तहसील भूपालसागर
3. भैरूलाल पिता चम्पा जाट निवासी झाझडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अ.सं. 3 **ने उपस्थित आकर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन कर हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी 1** बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्र्तगत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम झाझडों का खेड़ा के खाता सं. 51 की आ.सं. 493 / 158 रकबा 0.37 व आ.सं. 493 / 4881 रकबा 0.2000 है.** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल [illegible]

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2025.07.10 14:19:16 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर